ग्राम पंचायत डाढ़ झिकला, विकास खण्ड भवारना, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत डाढ़ झिकला, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री प्रवीण कुमार	01/04/22 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राम कुमार	01/04/22 से 01/05/2023
2.	श्री रूचि शर्मा	01/05/23 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री वेद धीमान	01/04/22 से 31/03 2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्री लक्की कुमार	01/04/22 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत डाढ़ झिकला के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	**2.38**
2.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	**27.36**
3.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	**1.83**
4.	8.1	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप राजस्व की संभावित वित्तीय हानि पाई जाना	**1.83**
5.	8.2	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना	**13.04**
6.	9	मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु कंक्रीट बोर्ड के क्रय हेतु अपेक्षाकृत अधिक भुगतान बारे	**0.008**
7.	11.2	विवाह पंजीकरण शुल्क वसूली हेतु शेष	**0.03**
8.	11.3	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना पाया जाना	**0.13**

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत डाढ़ झिकला का अंकेक्षण अवधि 01/04/2019 से 31/03/2021 के लिये किया गया था जिसके अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2019 से 31/03/2021 तक

क्र० सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति
1	3	निर्णीत। (रोकड़ बही एवं बैंक से भुगतान की पुष्टि उपरांत)
2	4	अनिर्णीत
3	4.1	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
4	4.2	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
5	5(क)	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
6	5(ख)	अनिर्णित
7	5(ग)	अनिर्णित
8	6	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
9	7	अनिर्णित
10	8	अनिर्णित
11	9	अनिर्णित
12	10	अनिर्णित
13	11	अनिर्णित
14	12	अनिर्णित
15	13	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
16	14	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
17	15	अनिर्णित

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत डाढ़ झिकला, विकास खण्ड भवारना, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22.04.2024 से 29.04.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया

गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	03/2023	05/2022
2023-24	10/2023	06/2023

अस्वीकरण (Disclaimer): - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 07/2024/डाढ़ झिकला दिनांक 29.04.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 12 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. <u>वित्तीय स्थिति</u>:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 11/2024 दिनांक 22.04.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	140778.48	392433.00	533211.48	372814.00	160397.48
2023-24	160397.48	510295.00	670692.48	527768.00	142924.48

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	2539443.65	5084561.97	7624005.62	5344208.54	2279797.08
2023-24	2279797.08	5059524.00	7339321.08	4602866.44	2736454.64

कुल योग (1+2) = 142924.48 + 2736454.64 = **2879379.12**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹2879379.12** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹26,41,469.62** से सम्बन्धित विवरणी **(परिशिष्ट - "ग")** निम्नानुसार है: -

क्र०	**अनुदान**	**बैंक**	**खाता संख्या**	**बैंक अंत शेष 31.03.2024 को**
1	सभा निधि (SF) व 5वां वित्त (5TH STATE)	KCCB चामुंडा	20081005380	177603.48
2	SDP	CBI चामुंडा	3158868341	105736.00
3	SDP, SDRF, VKVNY, MPLAD, LADA	CBI चामुंडा	3185099290	462546.10
4	सांसद निधि (MPLAD)	CBI चामुंडा	3185099176	1980.25
5	पंचायत समिति (PS)	CBI चामुंडा	3185098504	5797.95
6	ज़िला परिषद ZP	CBI चामुंडा	3189875748	12780.15
7	GRDY	CBI चामुंडा	3185099529	2165.00
8	SBM व IAY	CBI चामुंडा	3185099030	0.00
9	जल जीवन मिशन	CBI चामुंडा	5168961831	49745.56
10	14वां वित्तायोग / 14FC	KCCB चामुंडा	50065606876	4038.00
11	15वां वित्तायोग / 15FC	Canera बैंक बगोड़ा	4609101002770	1818199.13
	हस्तगत शेष (स्व: स्त्रोत)			878.00

	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :	2641469.62
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति पैरा 4(क) के अनुसार अन्तशेष :-	**₹28,79,379.12**
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	**₹26,41,469.62**
	अंतर :-	**₹2,37,909.50**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹2.38 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उक्त पैरा 4 के अनुसार बैंक में कम जमा के रूप में **₹2,37,909.50** की राशि का बहुत ज्यादा अन्तर पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है एवं इतनी अधिक राशि के दुरूपयोग/दुर्विनियोजन की ओर संकेत करता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/डाढ़ झिकला दिनांक 29.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना अर्थात रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता-क खोल जाएगा। इसी

तरह नियम 3 में दर्शाई संहिता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियाँ और प्राप्त ऋण खाता-ख खोल जाएगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था बल्कि स्व-स्त्रोत में 5वां राज्य वित्त आयोग अनुदान से प्राप्त राशि का आय व्यय सम्मिलित किया गया था। इसके अलावा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार निम्नलिखित अनुदानों के एक से अधिक बैंक खाता खोलने व संयुक्त बैंक खाता खोलने संबंधी अनियमितता पाई गई:-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०
1	सभा निधि (SF) व 5वां वित्त (5TH STATE)	KCCB चामुंडा	20081005380
2	SDP	CBI चामुंडा	3158868341
3	SDP, SDRF, VKVNY, MPLAD, LADA	CBI चामुंडा	3185099290
4	सांसद निधि (MPLAD)	CBI चामुंडा	3185099176

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण स्व-स्त्रोत, 5वां वित्त, एस०डी०पी०, वी०के०वी०एन०वाई०, एस०डी०आर०एफ०, सांसद निधि व एल०ए०डी०ए० के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/डाढ़ झिकला दिनांक 29.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 29.04.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में नियमानुसार खाता "क" व "ख" को पृथक कर लिया जाएगा व कृत अनुपालन से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व खाता "क" व "ख" को पृथक करना सुनिश्चित किया जाए और स्व-स्त्रोत, 5वां वित्त, एस०डी०पी०, वी०के०वी०एन०वाई०,

एस०डी०आर०एफ०, सांसद निधि व एल०ए०डी०ए० प्रत्येक अनुदान का उपरोक्त निर्देशानुसार पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 ई-ग्राम स्वराज पर रोकड़ बही का नियमित अद्यतन न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है, जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत E-Panchayat में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण में पाया गया है कि पँचायत द्वारा इस सुविधा का पूर्ण लाभ न उठाते हुये online रोकड़ बही का निरन्तर अद्यतन नहीं किया जा रहा। केवल अनुदान 15वां वित्त आयोग रोकड़ बही का संचालन नियमित रूप से ई ग्राम स्वराज पर किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य अनुदानों एवं सभा निधि के आय व्यय का लेखांकन निरंतर रूप से "ई-ग्राम स्वराज" पोर्टल पर नहीं किया जा रहा। इस कारण सरकार द्वारा करोड़ों रुपये व्यय करके चलाये जा रहे "ई-ग्राम स्वराज" पोर्टल को स्थापित करना ही निरुद्देश्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त हस्तलिखित रोकड़ बहियों को अनुरक्षित करने में व्यर्थ किये जा रहे बहुमूल्य मानवश्रम के कारण पँचायत की अन्य गतिविधियाँ भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती हैं। यह बहुत ही गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/डाढ़ झिकला दिनांक 29.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण ई ग्राम स्वराज पर कर लिया जाएगा व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/डाढ़ झिकला दिनांक 29.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही असंधारित है व भविष्य में नियमानुसार संधारण कर लिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.5 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था अपितु कार्यवाही रजिस्टर में तैयार एवं पारित किया गया था। सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को निर्धारित प्रारूप -11 के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस

प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/डाढ़ झिकला दिनांक 29.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹27.36 लाख का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 11/2024 दिनांक 22.04.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹2736454.64** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/डाढ़ झिकला दिनांक 29.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹1.83 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/डाढ़ झिकला दिनांक 23.04.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 06 दिनांक 25.04.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में ₹50/- प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹1,83,254.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है । बकाया पंचायत राजस्व में बढ़ौतरी न केवल विचारणीय है, अपितु एक समय के बाद बकाया राशि के संग्रहण की समस्या से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है । जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है। संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण थी जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर / गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

वसूली हेतु शेष संपत्ति कर / गृहकर राशि का विवरण :-

अवधि	अथशेष	कुल परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग (कालम 2+5)	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (कालम 6-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2022-23	₹ 1,57,104.00	800	₹ 50.00	₹ 40,000.00	₹ 1,97,104.00	₹ 27,600.00	₹ 1,69,504.00
2023-24	₹ 1,69,504.00	808	₹ 50.00	₹ 40,400.00	₹ 2,09,904.00	₹ 26,650.00	₹ 1,83,254.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/डाढ़ झिकला दिनांक 29.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर रजिस्टर का संधारण कर लिया जाएगा व गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹1.83 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 05/2022 व 06/2023 में रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट - " ङ "** पर संलग्न विवरणानुसार **₹1,83,448.00** का संभावित अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/डाढ़ झिकला दिनांक 29.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही नियमानुसार आपूर्तिकर्ता से वसूली कर ली जाएगी।

अतः राशि **₹1,83,448.00** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए व इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹13.04 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा **₹13,03,888.18** के भण्डार को भंडार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " च "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/डाढ़ झिकला दिनांक 29.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया समय के अभाव के कारण स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है व इसे लेखांकित कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रतिउत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के मध्यनजर क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये ।

8.3 बिल / वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के दौरान बिलों के भुगतान हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था, परिणाम स्वरूप किसी भी स्तर पर किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है।

क्र ° स °	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि
1.	2022-23	05/2022	**15,83,820.00**
2.	2023-24	06/2023	**19,71,950.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/डाढ़ झिकला दिनांक 29.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस त्रुटि को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

8.4 पंचायत चौकीदार को वेतन राशि ₹0.06 लाख का नकद भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 17 (2) में पंचायत से संदाय करने सम्बन्धी नियम अनुसार केवल एक हजार तक का संदाय ही नकद में किया जा सकता है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के व्यय चयनित माह 05/2022 के दौरान पंचायत चौकीदार को वॉउचर संख्या 08 दिनांक 19.05.2022 के तहत

सभा निधि में प्राप्त राशि से **₹5,600.00** का नकद में वेतन का भुगतान किया गया था जोकि उपरोक्त वर्णित नियम की अवहेलना है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/डाढ़ झिकला दिनांक 29.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अति आवश्यकता होने पर ही उक्त भुगतान को नकद में किया गया था व इस त्रुटि को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत प्रतिउतर तथ्यरहित होने के कारण तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अत: तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए व परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में समस्त भुगतान हेतु उपरोक्त नियम की अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

9. मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु कंक्रीट बोर्ड के क्रय हेतु राशि ₹0.008 लाख का अपेक्षाकृत अधिक भुगतान बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु कंक्रीट बोर्ड का क्रय किया गया, जिससे संबंधित बिल/वॉउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि आपूर्तिकर्ता को निविदा में अंकित दर से अधिक दर से भुगतान के कारण ₹750.00 का अधिक भुगतान किया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट "छ"** में संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/डाढ़ झिकला दिनांक 29.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि आपूर्तिकर्ता से अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जाएगी।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में पाई गई त्रुटि व किये गए अधिक भुगतान राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. मस्टर रोल को जारी करने तथा उसके अभिलेखन व अनुरक्षण करने में प्रतिपादित नियमों की अवहेलना बारे :-

10.1 मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹ 0.71 लाख के मस्टर रोलों का निर्माण एवं सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्टर रोल का भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 102(1 से 7) में मस्टर रोल को जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं, नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार मस्टर रोल का सहभागी कमेटी व सतर्कता

कमेटी से सत्यापन करवाना प्रावधित है व नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित मस्टर रोलों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि **₹71,249.00** का भुगतान उपरोक्त वर्णित नियमों की अवहेलना के उपरांत किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " ज "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/डाढ़ झिकला दिनांक 29.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि मस्टर रोल का सहभागी कमेटी व सतर्कता कमेटी से सत्यापन कर और संयुक्त अदायगी आदेश के साथ ही मस्टर रोल का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विभिन्न निर्माण कार्यों के मस्टर रोल में पाई गई त्रुटि व किये गए भुगतान को उच्च तकनीकी अधिकारियों की नमूना जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए व भविष्य में उपरोक्त वर्णित नियमों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित की जाये तथा कृत अनुपालन से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. विविध अनियमितताएं :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गई थी परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.03 लाख की वसूली न करना: -

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के

अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹2625.00** की वसूली नहीं की गई थी, जिसका विस्तृत विवरण (**परिशिष्ट - " झ "** पर संलग्न) निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	श्रीमती पूजा	23-04-2022	11-05-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
2	श्री अनिश कुमार	21-04-2022	06-06-2022	₹ 400.00	₹ 200.00	₹ 200.00
3	श्री शकुन राणा	11-06-2022	18-07-2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
4	श्री अंशु	03-05-2022	18-07-2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
5	श्रीमती पवना कुमारी	10-07-2022	06-08-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
6	श्रीमती पूजा देवी	27-09-2022	12-10-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
7	श्री कपिल देव	10-02-2023	13-03-2023	₹ 400.00	₹ 200.00	₹ 200.00
8	श्री साहिल राणा	09-03-2023	13-04-2023	₹ 400.00	₹ 200.00	₹ 200.00
9	श्री मणि कुमार	08-12-2023	19-01-2024	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
10	श्रीमती दिक्षा चौधरी	16-01-2024	27-01-2024	₹ 25.00	₹ 0.00	₹ 25.00
11	श्रीमती आरुषी राणा	18-02-2024	27-02-2024	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
			कुल योग	**₹ 3,225.00**	**₹ 600.00**	**₹ 2625.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/डाढ़ झिकला दिनांक 29.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया विवाह पंजीकरण शुल्क की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में विवाह पंजीकरण शुल्क संबंधी इस प्रकार कि त्रुटि को न दोहराया जाये।

11.3 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि ₹0.13 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे : -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है तथा जिसे समय समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0235-00-800-03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई कुल राशि **₹12,600.00** को उक्त नियमानुसार सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/डाढ़ झिकला दिनांक 29.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 29.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

12. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है एवं जिसके चलते प्रभावी एवं कुशल प्रबन्धन सम्भव नहीं है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	फॉर्म संख्या
1.	विनिधानों के लिये रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
4.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
5.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	33 व 77(4)	10
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	61 60	20
8.	अनुदान रजिस्टर	61(1)	21
9.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30
10.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
11.	निर्माण कार्य रजिस्टर	103	--------

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/डाढ़ झिकला दिनांक 23.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 07 दिनांक 25.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

-91-

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/डाढ़ झिकला दिनांक 29.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 29.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

15. निष्कर्ष :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

06 AUG 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का10/60

3861 - 3865

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)323/2021–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत डाढ़, विकास खण्ड भवारना, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

06 AUG 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का1/61

(परिशिष्ट " क5 " पैरा संख्या " 4 [illegible] " के संदर्भ में)

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP DADH JHIKLA FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	140778.48	392433.00	533211.48	372814.00	160397.48
2023-24	160397.48	510295.00	670692.48	527768.00	142924.48

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2539443.65	5084561.97	7624005.62	5344208.54	2279797.08
2023-24	2279797.08	5059524.00	7339321.08	4602866.44	2736454.64

PRADHAN SECY

GRAM PANCHAYAT DADH
DEV BLOCK BHAWARNA, KANGRA, H.P

(परिशिष्ट " ग " पैरा संख्या " 5.1 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत डाढ़ झिकला, वि०ख० भवारना, ज़िला कांगड़ा हि०प्र०176052

ग्राम पंचायत डाढ़ झिकला के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (SF) व 5वां वित्त (5TH STATE)	KCCB चामुंडा	20081005380	177603.48	142924.48
2	SDP, SDRF, VKVNY, MPLAD, LADA	CBI चामुंडा CBI चामुंडा CBI चामुंडा	3158868341 3185099290 3185099176	570262.35	961932.85
5	पंचायत समिति (PS)	CBI चामुंडा	3185098504	5797.95	5797.95
6	ज़िला परिषद ZP	CBI चामुंडा	3189875748	12780.15	12780.15
7	GRDY	CBI चामुंडा	3185099529	2165.00	2165.00
8	SBM व IAY	CBI चामुंडा	3185099030	0.00	0.00
9	जल जीवन मिशन	CBI चामुंडा	5168961831	49745.56	49745.56
10	14वां वित्तायोग / 14FC	KCCB चामुंडा	50065606876	4038.00	4038.00
11	15वां वित्तायोग / 15FC	Canera बैंक बगोड़ा	4609101002770	1818199.13	1699995.13
			जोड़ (क)	2640591.62	2879379.12
			हस्तगत शेष (ख)	878.00	0.00
			कुल जोड़ (क + ख)	2641469.62	2879379.12

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
रोकड़ वही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	2879379.12
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	2641469.62
अंतर :-	237909.50

Ruchi Sharma
SECY
PANCHAYAT DADH
JHIKLA BHAWARNA, KANGRA H.P.

(परिशिष्ट "ट" पैरा संख्या " 7 " में संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत डाढ़ झिकला, वि०ख० भवारना, ज़िला कांगड़ा हि०प्र० 176052

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 800 तथा 2023-24 में 808 परिवारों का ₹50/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 1,57,104.00	800	₹ 50.00	₹ 40,000.00	₹ 1,97,104.00	₹ 27,600.00	₹ 1,69,504.00
2023-24	₹ 1,69,504.00	808	₹ 50.00	₹ 40,400.00	₹ 2,09,904.00	₹ 26,650.00	₹ 1,83,254.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹1,83,254/-** है।						

Ruchi Sharma

परिशिष्ट " ङ ", पैरा संख्या " 8-1 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंटी पास (फार्म-एक्स) सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को राशी ₹1.83 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि का विविरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	मनरेगा वा0 सं०/ दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	Qty (Feet)	Qty (Cum)	Determining Factor	Qty MT	Royality (Per MT)	Due Royality
1	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	353/20.01.22	रेत	650	18.40	1.62	29.80	80	2384.00
2	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	354/20.01.22	क्रशर	1150	32.56	1.52	49.49	80	3959.20
3	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	393/20.01.22	रेत	650	18.40	1.62	29.80	80	2384.00
4	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	394/20.01.22	क्रशर	1200	33.98	1.52	51.65	80	4131.96
5	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	208/20.01.22	रेत	650	18.40	1.62	29.80	80	2384.00
6	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	209/20.01.22	क्रशर	1150	32.56	1.52	49.49	80	3959.20
7	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	373/20.01.22	रेत	650	18.40	1.62	29.80	80	2384.00
8	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	374/20.01.22	क्रशर	1150	32.56	1.52	49.49	80	3959.20
9	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	358/20.01.22	रेत	450	12.74	1.62	20.63	80	1650.40
10	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	359/20.01.22	क्रशर	800	22.65	1.52	34.42	80	2753.60
11	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	363/20.01.22	रेत	650	18.40	1.62	29.80	80	2384.00
12	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	364/20.01.22	क्रशर	1150	32.56	1.52	49.49	80	3959.20
13	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	388/20.01.22	रेत	650	18.40	1.62	29.80	80	2384.00
14	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	389/20.01.22	क्रशर	1200	33.98	1.52	51.65	80	4131.96
15	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	398/20.01.22	रेत	650	18.40	1.62	29.80	80	2384.00
16	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	399/20.01.22	क्रशर	1150	32.56	1.52	49.49	80	3959.20
17	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	378/20.01.22	रेत	650	18.40	1.62	29.80	80	2384.00
18	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	379/20.01.22	क्रशर	1200	33.98	1.52	51.65	80	4131.96
19	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	368/20.01.22	रेत	580	16.42	1.62	26.60	80	2128.03
20	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	369/20.01.22	क्रशर	1000	28.32	1.52	43.04	80	3443.20
21	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	383/20.01.22	रेत	750	21.24	1.62	34.40	80	2752.00
22	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	384/20.01.22	क्रशर	1300	36.81	1.52	55.95	80	4476.00
23	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	006/05.03.23	रेत	550	15.57	1.62	25.22	80	2017.60
24	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	007/05.03.23	क्रशर	950	26.90	1.52	40.88	80	3270.40
25	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	041/05.03.23	रेत	280	7.93	1.62	12.84	80	1027.20
26	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	042/05.03.23	क्रशर	500	14.16	1.52	21.52	80	1721.60
27	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	011/05.03.23	रेत	550	15.57	1.62	25.22	80	2017.60
28	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	012/05.03.23	क्रशर	950	26.90	1.52	40.88	80	3270.40
29	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	383/05.03.23	रेत	550	15.57	1.62	25.22	80	2017.60
30	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	384/05.03.23	क्रशर	1000	28.32	1.52	43.04	80	3443.20
31	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	388/05.03.23	रेत	550	15.57	1.62	25.22	80	2017.60
32	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	389/05.03.23	क्रशर	950	26.90	1.52	40.88	80	3270.40
33	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	378/05.03.23	रेत	550	15.57	1.62	25.22	80	2017.60
34	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	379/05.03.23	क्रशर	950	26.90	1.52	40.88	80	3270.40
35	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	016/05.03.23	रेत	550	15.57	1.62	25.22	80	2017.60
36	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	017/05.03.23	क्रशर	950	26.90	1.52	40.88	80	3270.40
37	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	373/05.03.23	रेत	550	15.57	1.62	25.22	80	2017.60
38	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	374/05.03.23	क्रशर	950	26.90	1.52	40.88	80	3270.40
39	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	393/05.03.23	रेत	550	15.57	1.62	25.22	80	2017.60
40	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	394/05.03.23	क्रशर	950	26.90	1.52	40.88	80	3270.40
41	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	001/05.03.23	रेत	550	15.57	1.62	25.22	80	2017.60
42	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	002/05.03.23	क्रशर	950	26.90	1.52	40.88	80	3270.40
43	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	398/05.03.23	रेत	550	15.57	1.62	25.22	80	2017.60
44	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	399/05.03.23	क्रशर	950	26.90	1.52	40.88	80	3270.40
45	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	046/05.03.23	रेत	200	5.66	1.62	9.16	80	732.80
46	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	047/05.03.23	क्रशर	125	3.54	1.52	5.38	80	430.40
47	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	026/05.03.23	रेत	650	18.40	1.62	29.80	80	2384.00
48	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	027/05.03.23	क्रशर	1200	33.98	1.52	51.65	80	4131.96
49	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	031/05.03.23	रेत	700	19.82	1.62	32.10	80	2568.00
50	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	032/05.03.23	क्रशर	1300	36.81	1.52	55.95	80	4476.00
51	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	036/05.03.23	रेत	500	14.16	1.62	22.93	80	1834.40
52	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	037/05.03.23	क्रशर	850	24.07	1.52	36.58	80	2926.40
53	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	021/05.03.23	रेत	350	9.91	1.62	16.05	80	1284.00
54	सुधीर कुमार	Nil/20.06.23	022/05.03.23	क्रशर	500	14.16	1.52	21.52	80	1721.60
									Total	146758.27
									Panelity @ 25 %	36689.56
									कुल राशी	183448.00

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 8.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत डाढ झिकला द्वारा क्रय किये गये सामग्री का विवरण जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

मनरेगा							
क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	भुगतान की गई राशी
1	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	353/20.01.22	रेत	650	47	30550.00
2	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	354/20.01.22	क्रशर	1150	39	44850.00
3	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	393/20.01.22	रेत	650	47	30550.00
4	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	394/20.01.22	क्रशर	1200	39	46800.00
5	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	208/20.01.22	रेत	650	47	30550.00
6	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	209/20.01.22	क्रशर	1150	39	44850.00
7	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	373/20.01.22	रेत	650	47	30550.00
8	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	374/20.01.22	क्रशर	1150	39	44850.00
9	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	358/20.01.22	रेत	450	47	21150.00
10	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	359/20.01.22	क्रशर	800	39	31200.00
11	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	363/20.01.22	रेत	650	47	30550.00
12	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	364/20.01.22	क्रशर	1150	39	44850.00
13	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	388/20.01.22	रेत	650	47	30550.00
14	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	389/20.01.22	क्रशर	1150	39	44850.00
15	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	394/20.01.22	रेत	650	47	30550.00
16	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	395/20.01.22	क्रशर	1150	39	44850.00
17	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	378 /20.01.22	रेत	650	47	30550.00
18	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	379 /20.01.22	क्रशर	1200	39	46800.00
19	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	368 /20.01.22	रेत	580	47	27260.00
20	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	369 /20.01.22	क्रशर	1000	39	39000.00
21	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	383 /20.01.22	रेत	750	47	35250.00
22	सुधीर कुमार	Nil/21.05.22	384 /20.01.22	क्रशर	1300	39	50700.00
23	HPCSCL शिमला	Nil/21.05.22	3186/20.01.22	सीमेंट	130	329.47	42831.10
24	HPCSCL शिमला	Nil/21.05.22	3185/20.01.22	सीमेंट	130	329.47	42831.10
25	HPCSCL शिमला	Nil/21.05.22	3184/20.01.22	सीमेंट	130	329.47	42831.10
26	HPCSCL शिमला	Nil/21.05.22	3183/20.01.22	सीमेंट	130	329.47	42831.10
27	HPCSCL शिमला	Nil/21.05.22	3182/20.01.22	सीमेंट	130	329.47	42831.10
28	HPCSCL शिमला	Nil/21.05.22	3180/20.01.22	सीमेंट	140	329.47	46125.80
29	HPCSCL शिमला	Nil/21.05.22	3179/20.01.22	सीमेंट	140	329.47	46125.80
30	HPCSCL शिमला	Nil/21.05.22	3178/20.01.22	सीमेंट	140	329.47	46125.80
31	HPCSCL शिमला	Nil/21.05.22	3177/20.01.22	सीमेंट	85	329.47	28004.95
32	HPCSCL शिमला	Nil/21.05.22	3174/20.01.22	सीमेंट	135	329.47	44478.45
33	HPCSCL शिमला	Nil/21.05.22	3173/20.01.22	सीमेंट	100	329.47	32947.00
15 वा वित्त आयोग							
35	HPCSCL शिमला	XVFC/2022-23/P/12	10373/05.04.22	सीमेंट	34	329.47	11201.98
36	HPCSCL शिमला	XVFC/2022-23/P/12	10373/05.04.22	सीमेंट	70	329.47	23062.90
						कुल योग	1303888.18

PRADHAN
GRAM PANCHAYAT ...
DEV BLOCK BHAWARNA ...

(परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या " 18.1 " के संदर्भ में)

मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों के राशि ₹0.71 लाख के मस्टर रोलों का निर्माण एवं सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करना, भुगतान हेतु प्रस्ताव पारित न करना और बिना संयुक्त अदायगी आदेश के मस्टर रोल का भुगतान करना

क्र० सं०	कार्य का नाम	मस्टर रोल संख्या	वा० सं० / दिनांक	भुगतान की गई राशि
1	फूलनू अनमूलन, पोधारोपन व भूमि विकास कार्य नजदीक ग्रामीण भंडार	438	Nil/05.05.2022	15642.00
		439	Nil/05.05.2022	8514.00
2	अपवर्धन कूहल सतीश कुमार की जमीन से विधि चंद की जमीन तक	187	Nil/05.05.2022	22176.00
3	अपवर्धन कूहल चमन लाल की जमीन से मुंशी राम की जमीन तक	136	Nil/05.05.2022	7920.00
		137	Nil/05.05.2022	1980.00
		138	Nil/05.05.2022	1355.00
4	अपवर्धन कूहल मंगल सैन के घर से कुशल कुमार की जमीन तक	139	Nil/05.05.2022	11682.00
		140	Nil/05.05.2022	1980.00
			कुल जोड़	**71249.00**

Lucky
Lucky
GRS
GP Dadh

PRADHAN
SECY
GRAM PANCHAYAT DADH
DEV BLOCK ... KANGRA H.P

(परिशिष्ट " झ " पैरा संख्या " 11.2 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत डाढ़ झिकला, वि०ख० भवारना, ज़िला कांगड़ा हि०प्र० 176052

ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करना :-

क्र० सं०	आवेदनकर्ता	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	श्रीमती पूजा	23-04-2022	11-05-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
2	श्री अनिश कुमार	21-04-2022	06-06-2022	₹ 400.00	₹ 200.00	₹ 200.00
3	श्री शकुन राणा	11-06-2022	18-07-2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
4	श्री अंशु	03-05-2022	18-07-2022	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
5	श्रीमती पवना कुमारी	10-07-2022	06-08-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
6	श्रीमती पूजा देवी	27-09-2022	12-10-2022	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
7	श्री कपिल देव	10-02-2023	13-03-2023	₹ 400.00	₹ 200.00	₹ 200.00
8	श्री साहिल राणा	09-03-2023	13-04-2023	₹ 400.00	₹ 200.00	₹ 200.00
9	श्री मणि कुमार	08-12-2023	19-01-2024	₹ 400.00	₹ 0.00	₹ 400.00
10	श्रीमती दिक्षा चौधरी	16-01-2024	27-01-2024	₹ 25.00	₹ 0.00	₹ 25.00
11	श्रीमती आरुषी राणा	18-02-2024	27-02-2024	₹ 200.00	₹ 0.00	₹ 200.00
			कुल योग	₹ 3,225.00	₹ 600.00	₹ 2,625.00

DEV BLOCK BHAWARNA, KANGRA, H.P